राजस्थान सिविल सेवा अपील अधिकरण, जयपुर

क्र. सं.	अपील संख्या	अपीलार्थीगण का नाम	प्रत्यर्थी विभाग	अधिवक्तागण
1.	395/2025	अनूप कुमार शर्मा	प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य	श्री उम्मेद सिंह तंवर
2.	2236/2025	सर्वजीत सिंह	प्रमुख शासन सचिव, वन विभाग, राजस्थान सरकार, जयपुर एवं अन्य	श्री सलीम खान

आदेश की दिनांक : 02.04.2025

प्रत्यर्थी विभाग की ओर से : श्री मनीष सिंह तोमर, अति. राजकीय अधिवक्ता

समक्ष :– अनन्त भंडारी, सदस्य (न्यायिक)
लेखराज तोसावड़ा, सदस्य

आदेश

1. अपील संख्या–395/2025 में इस अधिकरण द्वारा आदेश दिनांक 30.01.2025 पारित कर अपीलार्थी अनूप कुमार शर्मा के सम्बन्ध में पारित स्थानान्तरण आदेश दिनांक 15.01.2025 की क्रियान्विति आगामी आदेशों तक स्थगित रखे जाने के आदेश पारित किये थे। इस अपील में निजी प्रत्यर्थी की ओर से उक्त स्थगन आदेश को निरस्त किये जाने का प्रार्थना पत्र प्रस्तुत किया गया है, जिसमें उन्होंने कथन किया है कि निजी प्रत्यर्थी द्वारा स्थानान्तरण आदेश की पालना में अपीलार्थी के स्थान पर कार्यग्रहण कर लिया गया है। अपीलार्थी के खिलाफ अनुशासनात्मक कार्यवाही की जा रही है। ऐसे में अपीलार्थी को फिल्ड पोस्टिंग दिया जाना उचित नहीं था। फिर भी अपीलार्थी को फिल्ड पोस्टिंग दी गयी है।
2. प्रत्यर्थी विभाग की ओर से अपील संख्या–395/2025 में जवाब प्रस्तुत कर यह अंकित किया गया है कि अपीलार्थी ने वर्तमान अपील प्रशासनिक आवश्यकता के अन्तर्गत पारित स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश को माननीय अधिकरण के समक्ष चुनौती दी है। अपीलार्थी का स्थानान्तरण प्रशासनिक व जनहित से आर.एस.आर. के नियम 20 के अन्तर्गत प्रशासन को चुस्त दुरुस्त करने हेतु किया गया है। माननीय सर्वोच्च न्यायालय के द्वारा बी. बंधवा बनाम स्टेट ऑफ कर्नाटका एआईआर 1986 पेज 237 एवं सीजीएन बनाम राजेन्द्र व अन्य एआईआर 1995 पेज नं0 813 में यह सिद्धान्त प्रतिपादित किया गया है कि नियोक्ता को यह अधिकार है कि कर्मचारी का जरुरत के अनुसार प्रशासन को चुस्त एंव दुरुस्त करने के लिए स्थानान्तरण/पदस्थापन कर सकता है। अपीलार्थी का पदोन्नति उपरान्त रेंज सरदारशहर, उप वन संरक्षक चुरु से रेंज भादरा, उप वन संरक्षक हनुमानगढ में रिक्त पद पर पदस्थापन किया गया। अपीलार्थी के द्वारा दिनांक 05.10.2023 को

रेंज भादरा का कार्यभार ग्रहण कर लिया गया। अपीलार्थी के अनुसार अवैध व अनुचित रुप से केवल मात्र निजी प्रत्यर्थी को स्वयं की इच्छा पर पदस्थापित करने के आशय से आलोच्य आदेश दिनांक 22.02.2024 के द्वारा अपीलार्थी का स्थानान्तरण रेंज रावतसर से रेंज डीडवाना उप वन सरंक्षक नागौर में किया जाना बताया है। श्रीमान प्रधान मुख्य वन संरक्षक (हॉफ) राजस्थान जयपुर के आदेश क्रमांक एफ2(2)2024/कार्मिक/प्रमुवसं/774–810 दिनांक 22.02.2024 द्वारा अनूप कुमार शर्मा, क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम का स्थानान्तरण राज्यहित में रेंज रावतसर उप वन संरक्षक हनुमानगढ से रेंज डीडवाना, उप वन संरक्षक नागौर एवं श्री सर्वजीत सिंह क्षेत्रीय वन अधिकारी प्रथम का स्थानान्तरण रेंज डीडवाना, उप वन संरक्षक नागौर से रेंज रावतसर, उप वन संरक्षक हनुमानगढ में किया गया।

3. अपील संख्या–2236/2025 में अपीलार्थी सर्वजीत सिंह ने यह तथ्य अंकित किये हैं कि पूर्व में अपील संख्या 480/2024 प्रस्तुत की थी जिसमें माननीय अधिकरण द्वारा दिनांक 28.02.2024 में स्थगन आदेश पारित कर दिया गया था, लेकिन माननीय अधिकरण द्वारा अपील संख्या 480/2024 का निस्तारण दिनांक 27.02.2025 के द्वारा कर दिया गया है। इस प्रकार प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा माननीय अधिकरण के समक्ष 11 माह की अल्पावधि में 2 बार स्थगन आदेश पारित कर चूका है, जिससे अपीलार्थी के सम्बंध में पारित आदेश 14.02.2025 अपास्त किये जाने योग्य है। प्रत्यर्थी विभाग द्वारा दिनांक 14.02.2024 को प्रत्यथी संख्या 4 के सम्बंध में एक आदेश पारित किया गया, जिसमें प्रत्यर्थी संख्या 4 द्वारा प्रस्तुत दोनो अपीलो का हवाला देते हुए प्रत्यर्थी संख्या 4 का पदस्थापन रेज रावतसर, उपवन संरक्षक हनुमानगढ़ में पदस्थापन कर दिया गया, जो कि अवैध एवं मनमाना हैं। चूंकि अपीलार्थी द्वारा अपील संख्या 395/2025 में स्टे वेकेशन की प्रार्थना पत्र लम्बित है एवं माननीय अधिकरण द्वारा अपीलार्थी के पदस्थापन के सम्बंध में कुछ भी नही आदेश जारी किये है, उसके बावजूद भी विभाग द्वारा अपीलार्थी को कार्य व्यवस्थार्थ की आड़ में रेंज टिब्बी, हनुमानगढ़ में पदस्थापन कर दिया गया है, जो कि अवैध एवं मनमाना है।

4. हमनें पक्षकारों के विद्वान अधिवक्तागण द्वारा दिये गये तर्को पर विचार किया। हम पाते हैं कि अपील संख्या–395/2025 में आलोच्य आदेश दिनांक 15.01.2025 के द्वारा अपीलार्थी अनूप कुमार शर्मा का स्थानान्तरण रेंज रावतसर, उप वन संरक्षक, हनुमानगढ से रेंज नोखा, उप वन संरक्षक, बीकानेर में किया गया है और अपील संख्या–2236/2025 में अपीलार्थी सर्वजीत सिंह का स्थानान्तरण रेंज डीडवाना, उप वन संरक्षक, नागौर से रेंज रावतसर, उप वन संरक्षक, हनुमानगढ में किया गया था, जिसकी पालना में अपीलार्थी सर्वजीत सिंह ने रेंज रावतसर, उप वन संरक्षक,

हनुमानगढ में कार्यग्रहण कर लिया और अपीलार्थी अनूप कुमार शर्मा के पक्ष में पारित अन्तरिम स्थगन आदेश दिनांक 30.01.2025 की पालना में अपीलार्थी अनूप कुमार शर्मा भी रेंज रावतसर, हनुमानगढ में कार्यरत है। इस प्रकार रेंज रावतसर, उप वन सरंक्षक, हनुमानगढ में दो कार्मिक कार्यरत हो गये हैं। अपीलार्थी अनूप कुमार शर्मा के पक्ष में स्थगन आदेश इस आधार पर पारित किया गया था कि अपीलार्थी द्वारा पूर्व में प्रस्तुत अपील संख्या–480/2024 में स्थगन आदेश पारित किया हुआ था। ऐसे में स्थगन आदेश लम्बित रहने के दौरान स्थानान्तरण किये जाने के आधार पर स्थानान्तरण आदेश को स्थगित रखा गया था। हमारे समक्ष यह प्रकट हुआ है कि पूर्व में अपील संख्या–480/2024 का निस्तारण हो चुका है, जिसमें इस अधिकरण ने प्रत्यर्थी विभाग को अपीलार्थी का नये सिरे से स्थानान्तरण करने के लिये स्वतंत्रता दी है, चूंकि अपीलार्थी अनूप कुमार शर्मा के पक्ष में अपील संख्या–395/2025 में अंतरिम स्थगन आदेश पारित किया गया था और एक ही स्थान पर दो व्यक्ति कार्यरत हो गये। ऐसी स्थिति में अपीलार्थी सर्वजीत सिंह को कार्य व्यवस्थार्थ रेंज टिब्बी, उप वन संरक्षक, हनुमानगढ में कार्य व्यवस्थार्थ लगाया गया था, जो कि अन्तरिम व्यवस्था के रूप में कार्य व्यवस्थार्थ लगाया गया है। मूल रूप से दोनों ही कर्मचारी एक ही स्थान पर कार्यरत है। ऐसी स्थिति को देखते हुए दोनों अपीलों का निस्तारण इस आदेश के साथ किया जाता है कि अपील संख्या–395/2025 के अपीलार्थी अनूप कुमार शर्मा एवं अपील संख्या–2236/2025 के अपीलार्थी सर्वजीत सिंह के सम्बन्ध में प्रत्यर्थी विभाग प्रशासनिक आवश्यकता को दृष्टिगत रखते हुए नए सिरे से स्थानान्तरण/पदस्थापन आदेश पारित करेगा। यह भी स्पष्ट किया जाता है कि ऐसे स्थानांतरण/पदस्थापन पर स्थानांतरण पर प्रतिबंध लागु होना नहीं माना जावेगा, क्योंकि पूर्व में दिनांक 15.01.2025 को ही स्थनांतरण आदेश जारी किया जा चुका था। इस आदेश की पालना 2 सप्ताह में सुनिश्चित की जाए। तब तक दोनों कार्मिकों को उनके वर्तमान पदस्थापन स्थान से कार्यरत रखा जावें।

5. मूल आदेश अपील संख्या 395/2025 में सलंग्न किया जाये एवं आदेश की फोटोप्रति अन्य अपील में सलंग्न की जाये।

(लेखराज तोसावड़ा)
सदस्य

(अनन्त भंडारी)
सदस्य (न्यायिक)